सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न)
आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी
सीआईएनः यू63023डीएल2007पीएलसी165676

सं. सीआरडब्लूसी– I/स्थापना/मातृत्व लाभ छुट्टी/2015–16/1717 दिनांक : 27.07.2015

परिपत्र

(संदर्भ दिनांक 29.06.2015 को हुई निदेशक मंडल की 41वीं बैठक के कार्यवृत– कार्यसूची मद सं.41.6)

निदेशक मंडल ने दिनांक 29.06.2015 को अपनी 41वीं बैठक में सीआरडब्लूसी में संविदा आधार पर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों के लिए जो गत 12 महीनों में एक सौ साठ दिन से अधिक कार्य कर चुकी है, मातृत्व लाभ छुट्टी प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

तद्नुसार संविदा आधार पर कार्य कर रही पात्र महिला कर्मचारी प्रत्याशित डिलीवरी की तारीख से अधिकतम 12 सप्ताह तक अर्थात् डिलीवरी की तारीख सहित 6 सप्ताह तक और डिलीवरी की तारीख के तुरंत बाद 6 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ छुट्टी लेने की हकदार है, जैसा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में प्रावधान है। यह 01.04.2015 से लागू होगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन जारी किया जाता है।?

(एस. पाल)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

वितरणः

1. अधीक्षण अभियंता/ प्रबंधक (एमएंडओ)/प्रबंधक (वित्त एंव लेखा)/ प्रबंधक (अभियांत्रिकी)/कंपनी सचिव, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
2. सभी टर्मिनल प्रबंधक ।
3. संविदा आधार पर कार्य कर रही महिला कर्मचारी।
4. प्रबंध निदेशक की निजी सचिव, सीआरडब्लूसी कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली।
5. कार्यकारी, आईटी को सीआरडब्लूसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

पंजीकृत कार्यालयः वेअरहाउसिंग भवन, 4/1, सीरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, होज खास, नई दिल्ली–110016
कॉरपोरेट कार्यालयः भूतल प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन, बिल्डिंग, नई दिल्ली–110001, दूरभाषः 011–23379418, फैक्सः 011–23379434
वैबसाइटः www.crwc.in